राजस्व वाद स. 172/2019
वासुदेव बनाम प्रेम कुमार आदि
निर्णय दिनांक 06/02/23

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 172/2019 जीसीएमएस नम्बर– 2019/00909

1. वासुदेव पुत्र रामावतार निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 हाल आबाद डी 44 शुभम इन्कलाब पश्चिमी बिहार नई दिल्ली 110063
2. शिवरतन पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
3. महेश पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027

..........वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार उर्फ प्रेमप्रकाश पुत्र रामावतार निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
2. दीपा पत्नी सज्जन कुमार पुत्र वधु प्रभातीलाल निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
3. अंकुर पुत्र सज्जन कुमार निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
4. उर्मिला पत्नी शंकर निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
5. अक्षत पटवारी पुत्र शंकर निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 92 एफ अलीपुर रोड़ कलकता 700027
6. रामप्रताप पुत्र बिलासराम निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
7. मुरलीधर पुत्र बिलासराम निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
8. पुरुषोतम पुत्र बिलासराम निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
9. गिनिया देवी पत्नी घनश्याम पुत्र वधु बिलासराम उर्फ रामबिलास निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
10. दीपक पुत्र घनश्याम नवीरा बिलासराम उर्फ रामबिलास निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
11. कालु पुत्र धनश्याम नवीरा बिलासराम उर्फ रामबिलास निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद 40 स्टेण्ड रोड़ कलकता 700001
12. सविता पत्नी धनपत निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
13. सविता पत्नी दयाराम निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

.........प्रतिवादीगण

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक 06/02/23

(1) वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 के हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.81है0 खसरा नम्बर 253 रकबा 1.04है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 10 की पैत्रक है।
2. यह कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67है0 खसरा नम्बर 139 रकबा 2.25है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 व 2 में वर्णित भूमि का पूर्व का खातेदार वादीगण का दादा मेघाराम खातेदार कास्तकार था। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी मेघाराम के पांच पुत्र क्रमशः रामबिलास उर्फ बिलासराम, बद्रीप्रसाद, रामावतार, प्रभातीलाल, मोहन हुए। जिनमें से उक्त पांचो फौत हो चुके है। जिनमें से रामबिलास उर्फ बिलासराम के वारिसान प्रतिवादी स0 6 ल0 11 है तथा बद्रीप्रसाद के वारिसान वादी स0 2 व 3 व प्रतिवादी स0 4, 5 है व रामावतार के वारिसान वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 है प्रभातीलाल के एक पुत्र सज्जन कुमार था वो भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी स0 2 व 3 है व मोहन लाल के कोई वारिसान नही था उसके एक पत्नी शान्ति थी जिसका भी देहान्त हो चुका है इससे उसकी खातेदारी भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 10 वारिसान है उसका हिस्सा इन सभी खातेदारों के दर्ज होना चाहिए।
4. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण पिछले 40–50 वर्षो से कलकता में परिवार सहित रहते है वही पर अपना व्यवसाय करते है जब वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी मेघराज फौत हुआ तथा उसके पश्चात मेघराज के पांचों पुत्र भी फौत हो गये तब रामावतार के फौत होने पर जब फौतगी नामान्तकरण दर्ज हुआ तब बिना सही जांच किये प्रतिवादी स0 2 व 3 के पिता सज्जन कुमार को वादी व प्रतिवादी स0 1 का भाई दर्शाते हुए उनका नाम भी खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि प्रतिवादी स0 2 व 3 के पिता व पति सज्जन कुमार प्रभाती लाल का पुत्र है। प्रभाती लाल फौत हो चुका है लेकिन उनके नाम से अब भी खातेदारी दर्ज होई। जिसको दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी स0 2 व 3 को प्रभाती लाल के खातेदारी में दर्ज कर वादी व प्रतिवादी स0 1 के साथ दर्ज खातेदारी हटाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वाद व प्रतिवादी स0 1 के कोई बहिन नही है जबकि वादी व प्रतिवादी स0 1 के साथ प्रेमकुमारी पुत्री रामावतार दर्ज कर दिया है जिसको हटाया जाना आवश्यक है।
5. यह कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के 1/16, 1/16 हिस्सा दर्ज है तथा 1/16 हिस्सा प्रति0स0 2 व 3 के पिता व पति सज्जन कुमार के नाम से दर्ज है जो वादी व प्रतिवादी स0 1 का भाई नही है गलति से उसका नाम वादी व प्रतिवादी स0 1 के साथ 1/16 हिस्से का खातेदार दर्ज हो गया। जबकि सज्जन कुमार प्रभाती लाल का पुत्र है सज्जन कुमार भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी स0 2 व 3 है जिनको प्रभाती लाल की जगह 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज करते हुए सज्जन कुमार का नाम वादी व प्रतिवादी स0 1 के साथ 1/16 हिस्से में दर्ज है उसको हटाया जावे इस प्रकार इस भूमि में दर्ज प्रेमकुमार पुत्री रामावतार का नाम भी दर्ज है रामावतार की कोई वारिस नही है तथा ना ही रामावतार की पुत्री है इसलिए इसका नाम भी इस खातेदारी में हटाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी स0 1 का 1/8 व प्रतिवादी स0 1 का 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

6. यह कि वाके ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 2.25है0 खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92है0 भूमि में वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 का 1/60, 1/60 हिस्सा दर्ज है तथा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 के पिता रामावतार के दो पुत्र ही पैदा हुए जो वादी व प्रतिवादी स0 1 ही है प्रतिवादी स0 1 व वादी स0 1 सज्जन कुमार के भाई नही है सज्जन कुमार प्रभाती लाल का पुत्र है लेकिन जब वादी व प्रतिवादी स0 1 के पिता फौत हुआ उस समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से सज्जन कुमार को वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 का भाई दर्ज करते हुए उसके नाम से 1/60 हिस्सा दर्ज कर दिया। जिसका नाम हटाया जाकर प्रभाती लाल की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए। तथा इसी प्रकार से प्रेमकुमारी कोई नही है उसको भी वादी व प्रतिवादी स0 1 की बहन दर्ज कर उसको भी 1/60 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी। जिसका नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम से उसकी खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी प्रकार से खातेदार शान्ति पत्नी मोहनराम बिना किसी वारिस के फौत हो गई है। जिसकी विधिक वारिस वादीगण व प्रतिवादी स0 1 से 10 है इस प्रकार प्रतिवादी स0 2 व 3 के के पिता सज्जन कुमार फौत हो चुका है इसलिए प्रभाती लाल जो प्रतिवादी स0 2 का ससुर व उसका दादा था जो फौत हो चुका है इसलिए प्रभाती लाल की जगह 1/12 हिस्से का खातेदार दर्ज कर सज्जन कुमार का नाम रामावतार की खातेदारी में से हटाया जाना आवश्यक है। इसलिए शान्ति देवी फौत होने पर प्रभाती लाल का 1/15 की जगह 1/12 हिस्सा हो गया। जिसमें खातेदार प्रतिवादी स0 2 व 3 को दर्ज किया जावे। इस प्रकार वादी स0 1 का 1/24 व प्रतिवादी स0 1 का 1/24 हिस्सा वादी स0 2 व 3 को तथा प्रतिवादी स0 4 व 5 के पिता का इस भूमि में पूर्व में 1/15 हिस्सा था लेकिन शान्ति देवी पत्नी मोहल लाल फौत होने पर उसका हिस्सा 1/12 हो गया है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में वादी स0 2 का 1/60 व वादी स0 3 का 1/60 प्रतिवादी स0 4 व 5 के पिता शंकर का 1/60 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसकी जगह वादी स0 2 को 1/36, वादी स0 3 को 1/36 व प्रतिवादी स0 4 व 5 को 1/36 हिस्सा दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार बिलासराम उर्फ रामबिलास को इस भूमि में 1/15 हिस्सा था लेकिन अब शान्ति देवी पत्नी मोहन लाल फौत होने पर हिस्सा 1/15 की जगह 1/12 हो गया है। तथा रामबिलास उर्फ बिलासराम के चार पूत्र है जो प्रतिवादी स0 6 रामप्रसाद प्रतिवादी स0 7 मुरलीधर, प्रतिवादी स0 8 पुरुषोतम तथा एक पुत्र घनश्याम फौत हो चुके है जिसमें वादीगण व प्रति0स0 9, 10, 11 है इस प्रकार इस भूमि को प्रतिवादी स0 6 को 1/60 की जगह 1/48, प्रतिवादी स0 7 को 1/60 की जगह 1/48, प्रतिवादी स0 8 को 1/60 की जगह 1/48 व प्रति0स0 9 से 11 को 1/60 की जगह 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस खण्ड में वर्णित भूमि की जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 से 11 जाति महाजन की जगह कुमावत दर्ज कर दी जबकि इससे पहले की जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ल0 11 की जाति महाजन दर्ज है जो सही है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 11 की जाति कुमावत की जगह महाजन दर्ज रिकार्ड किया जावे।

7. यह कि वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 11 [illegible] 35–40 वर्षो से कलकता रह रहे है वादी व प्रतिवादी स0 1 [illegible] 1996 में हो चुका है वादी के पिता के देहान्त के पश्चात [illegible] नामान्तक[illegible] किया उसमें प्रतिवादी स0 2 के पति व प्रितिवादी स0 3 [illegible] लाल का पुत्र है उसे रामावतार का वारिस मानकर विरासत नामान्त[illegible] दर्ज कर दिया तथा प्रेम कुमारी जो कोई भी नही है उसे भी रामावतार का वारिसान मानकार नामान्तकरण भूलवश दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार रामावतार के वारिसान मुताबिक वंशावली वादी व प्रतिवादी स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ही वारिस है उक्त का नाम वादी व प्रतिवादी स0 1 की खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। तथा ख0न0 139, 151 में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 से 11 के हिस्से भी वर्तमान जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया है इसलिए उक्त वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान जी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
9. यह कि वाद पत्र राज0 कास्त0 अधि0 के अनुसार 2 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।
10. यह कि खातेदार सज्जन फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी स0 2 व 3 है। खातेदार शंकर फौत हो चुका है जिसका वारिसान प्रतिवादी स0 4 , 5 है उनको पक्षकार बनाया है खातेदार घनश्याम फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी स0 6 से 11 है इसलिए उसको पक्षकार बनाया गया है।
11. यह कि वाद पत्र नवीनतम जमाबन्दी संवत प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात वादीगण के द्वारा कोई रहन बेचान नही किया गया है।
12. यह कि वाद पत्र दो प्रतियों में पेश किया गया है। व शपथ पत्र वादी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अत': वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.81है0 खसरा नम्बर 253 रकबा 0.23है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04है0 वादी स0 1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 को 1/8 हिस्से की खातेदारी घोषित किया जावे व प्रतिवादी स0 2, 3 के पिता सज्जन कुमार का नाम वादी व प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में दर्ज है उसको हटाया जाकर प्रभाती लाल पुत्र मेघाराम के 1/4 हिस्से में उसकी खातेदारी दर्ज की जावे। तथा प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार का नाम हजफ किया जावे। वादी स0 2 को 1/8 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा वादी स0 3 को 1/16 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी स0 4, 5 के पिता का 1/16 जगह प्रतिवादी स0 4, 5 को 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। व प्रेम कुमार का नाम हजफ किया जावे।

(ख) कि ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 2.25है0 खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67है0 कुल किता 2 रकबा 2.92है0 में प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार व शान्ति पत्नी मोहन लाल का नाम हटाया जाकर वादी स0 1 का 1/24 हिस्से, प्रतिवादी स0 1 का 1/24 हिस्से व प्रतिवादी स0 2, 3 को प्रभाती लाल की जगह 1/12 हिस्से, का खातेदार दर्ज किया जावे व सज्जन कुमार पुत्र रामवतार का नाम हजफ किया जावे। इसी प्रकार वादी स0 2 का 1/36 वादी स0 3 का 1/36 व प्रतिवादी स0 4, 5 को 1/36 हिस्से प्रतिवादी स0 6 को 1/48, प्रतिवादी स0 7 को 1/48, प्रतिवादी स0 8 को 1/48, प्रतिवादी स0 9 लगा0 11 को 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 11 की जाति कुमावत की जगह महाजन दर्ज कर दुरुस्त कि जावे।

(2) वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य अभिलेख में पीडब्ल्यू –1 वासुदेव, पीडब्ल्यू – 2 सत्यवीर का शपथपत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेजात प्रदर्श– 1नकल जमाबंदी संवत् 2067 से 2070, प्रदर्श– 3 जमाबंदी स. 2067 से 2070, प्रदर्श– 3 जमाबंदी सं. 2075 से 2078, प्रदर्श– 4 जमाबंदी सं. 2075 से 2078 पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 14:39:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(4) बहस विद्वान अधिवक्ता वादियागण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.81है0 ख0न0 253 रकबा 0.23है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04है0 वादी स0 1 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 को 1/8 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित जाता है, तथा प्रतिवादी स0 2, 3 के पिता सज्जन कुमार का नाम वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में दर्ज है को हटाया जाकर प्रभाती लाल पुत्र मेघाराम के 1/4 हिस्से में उसकी खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार का नाम हजफ किया जावे। (2) वादी स0 2 को 1/8 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा, वादी स0 3 को 1/16 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी स0 4, 5 को शंकर पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर 1/16 हिस्सा के स्थान पर 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है , तथा प्रेम कुमारी का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। (3) वाके ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल ख0न0 139 रकबा 2.25है0 ख0न0 151 रकबा 0.67है0 कुल किता 2 रकबा 2.92है0 में प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार व शान्ति पत्नी मोहन लाल का नाम हजफ किया जाकर वादी स0 1 का 1/24 हिस्से, प्रतिवादी स0 1 का 1/24 हिस्से व प्रतिवादी स0 2, 3 को प्रभाती लाल के स्थान पर 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है, व सज्जन कुमार पुत्र रामवतार का नाम हजफ किया जाता है। (4) इसी प्रकार वादी स0 2 का 1/36 हिस्सा, वादी स0 3 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4, 5 को 1/36 हिस्सा प्रतिवादी स0 6 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 लगा0 11 को 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। (5) वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 11 की जाति कुमावत के स्थान पर महाजन दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। (6) तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 06/02/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 172/2019 जीसीएमएस नम्बर– 2019/00909

निर्णय दिनांक:– 06/02/23

वासुदेव **बनाम** प्रेम कुमार आदि

<u>दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती</u>

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थित में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/02/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.81है0 ख0न0 253 रकबा 0.23है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04है0 वादी स0 1 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 को 1/8 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित जाता है, तथा प्रतिवादी स0 2, 3 के पिता सज्जन कुमार का नाम वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में दर्ज है को हटाया जाकर प्रभाती लाल पुत्र मेघाराम के 1/4 हिस्से में उसकी खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार का नाम हजफ किया जावे। (2) वादी स0 2 को 1/8 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा, वादी स0 3 को 1/16 हिस्से की जगह 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी स0 4, 5 को शंकर पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर 1/16 हिस्सा के स्थान पर 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है , तथा प्रेम कुमारी का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। (3) वाके ग्राम उदामाण्डी स्थित भूमि हाल ख0न0 139 रकबा 2.25है0 ख0न0 151 रकबा 0.67है0 कुल किता 2 रकबा 2.92है0 में प्रेम कुमारी पुत्री रामवतार व शान्ति पत्नी मोहन लाल का नाम हजफ किया जाकर वादी स0 1 का 1/24 हिस्से, प्रतिवादी स0 1 का 1/24 हिस्से व प्रतिवादी स0 2, 3 को प्रभाती लाल के स्थान पर 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है, व सज्जन कुमार पुत्र रामवतार का नाम हजफ किया जाता है। (4) इसी प्रकार वादी स0 2 का 1/36 हिस्सा, वादी स0 3 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4, 5 को 1/36 हिस्सा प्रतिवादी स0 6 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 को 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 लगा0 11 को 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। (5) वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 11 की जाति कुमावत के स्थान पर महाजन दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। (6) तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06/02/23 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)